पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या0 0522–2208737, 2207065
फैक्स नं0– 0522–2208769
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्र सं0 278 प्रनि/मविविनिलि/कैम्प दिनांक 14/5/2010

विषयः– न्यूनतम् विद्युत व्यवधान।

समस्त मुख्य अभियन्ता/
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0।

शासन स्तर पर सम्पन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सचिव (ऊर्जा) के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जायः–

1. गर्मी के प्रकोप और खरीफ फसल (धान की बुआई) हेतु सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय और स्थानीय विद्युत दोष को शीघ्र अतिशीघ्र विशेष ध्यान देकर ठीक कराया जाय।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता अपने संबंधित मण्डलायुक्त के साथ समन्वय बनाये और प्रत्येक सप्ताह में एक बार उनको व्यक्तिगत रूप से विद्युत आपूर्ति के बारे में अवगत करायें। यदि मण्डलायुक्त द्वारा विद्युत आपूर्ति के बारे में कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उस पर तत्काल वांछित कार्यवाही करते हुए उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय। यदि इन आदेशों के अनुपालन में समस्या आती है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।
3. इसी प्रकार समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (जैसी भी स्थिति हो) संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेंगे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति के बारे में प्रत्येक सप्ताह में अवगत करायेंगे। विशेष रूप से 33 के0वी0 लाइन तक विद्युत व्यवधान के बारे में अधिशासी अभियन्ता एक रजिस्टर बनायेंगे जिसमें विद्युत व्यवधान की प्रकृति एवं व्यवधान प्रारम्भ होने का समय एवं व्यवधान दूर करने में लगे समय का विवरण अंकित कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
4. सभी उपकेन्द्रों पर 11 के0वी0 और एल0टी0 फाल्ट के बारे में जो कम्प्लेंट रजिस्टर पूर्व निर्धारित है उसमें व्यवधान प्रारम्भ होने का समय और व्यवधान दूर करने का समय निश्चित रूप से अंकित किया जाय तथा रजिस्टर का समय से अनुश्रवण होता रहे।
5. संबंधित जिलाधिकारी को काल–सेन्टर के दूरभाष संख्या–1800–180–8752 से अवगत करायें।
6. तहसील दिवस से प्राप्त शिकायत और उनके निस्तारण का विवरण अधिशासी अभियन्ता एक रजिस्टर में अंकित करेंगे और उनके निस्तारण की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे। संबंधित अधीक्षण अभियन्ता तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों में कम से कम दो शिकायतों का रैण्डम स्तर से उनकी सत्यता और निस्तारण की गुणवत्ता की जाँच कर संबंधित मुख्य अभियन्ता को अवगत करायेंगे। मुख्य अभियन्ता उनके निस्तारण की जाँच कर एक संक्षिप्त आख्या मासिक बैठक से पूर्व उपलब्ध करायेंगे।

14/05/10

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निदेशक (तकनीकी), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।